

व्यापार कर आयुक्त, यू.पी.

बनाम

एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड

(सिविल अपील सं. 6636/2002)

5 मई, 2008

(अशोक भान और दलवीर भण्डारी, जे.जे.)

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम - कर की दर - 'बबलगम' पर - अभिनिर्धारित कर की दर 10% अवर्गीकृत होगी और गैर-अनुसूचित वस्तु के रूप में 10% होगी और स्वीटमीट (मिठाई) के रूप में 6.25% की दर नहीं होगी - 'बबल-गम' को उत्तरप्रदेश राज्य में गम को मिठाई के रूप में नहीं माना जा सकता। उत्तरप्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या व्या का-2-1225/ग्यारह दिनांकित 31.3.1992 और संख्या व्या का-2-3403/ग्यारह दिनांकित 1.10.94

वर्तमान अपीलों में विचार के लिए प्रश्न बबल-गम की बिक्री पर लागू कर की दर है। अपीलकर्ता-राजस्व ने अवर्गीकृत और गैर-अनुसूची मद के रूप में अधिभार सहित 10% की दर से कर लगाया। प्रतिवादी निर्धारिती ने इसे चुनौती दी। अपीलीय न्यायालय ने इस पर 6.25% की दर से कर लगाया। दूसरी अपील में बिक्री कर न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि बबल-गम न तो स्वीटमीट (मिठाई) है और न ही मिष्ठान्न, इसलिए कर को अवर्गीकृत वस्तु के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण में न्यायाधिकरण के निर्णय को उल्ट दिया।

इसलिए वर्तमान अपील न्यायालय ने अपील को अनुमति देते हुए। अभिनिर्धारित किया कि -

1.1 कल्पना की कोई सीमा नहीं है, क्या उत्तरप्रदेश राज्य में 'बबल-गम' को 'मिठाई' माना जा सकता है? नतीजन 'बबल-गम' एक अवर्गीकृत वस्तु के रूप में कर योग्य है। उत्तरप्रदेश बिक्री कर अधिनियम के तहत मिठाई (स्वीटमीट), पका हुआ भोजन, नमकीन आदि एक प्रविष्टि के अन्तर्गत हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नमकीन और पका हुआ भोजन स्वीटमीट (मिठाई) है।

(पैरा 12 और 21) (701-डी; 702-जी; 703-ए)

1.2 आम बोलचाल में बबल-गम को मिठाई नहीं माना जा सकता है। आम बोलचाल की भाषा में मिठाई की दुकान (कन्फेक्शनरी) की वस्तुओं को भी मिष्ठान्न की वस्तुओं को भी इस रूप में नहीं माना जाएगा। दरअसल, बबलगम खाने की कोई वस्तु नहीं है। इसे मुँह में रखा जाता है और चबाने के बाद बाहर निकाल दिया जाता है। दरअसल, इसका उपयोग 'माउथ फ्रेशनर' के रूप में किया जाता है। यह सिर्फ चीनी से नहीं बनता है। इसमें चीनी के साथ-साथ गमबेश, वेक्स इत्यादि भी होते हैं। (पैरा 8) (700-ए, बी, सी)

1.3 उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कहा कि बबल-गम को 'मिठाई' के रूप में नहीं माना जा सकता है लेकिन यह निश्चित रूप से मिठाई की दुकान (कन्फेक्शनरी) की एक वस्तु है लेकिन अपने निष्कर्ष में इसका कोई कारण नहीं दिया गया है। प्रत्यर्थी ने 'बबल-गम' की सामग्री का कोई विवरण नहीं दिया। प्रतिवादी के मामले में ऐसा कभी नहीं था कि 'बबल-गम' एक चीनी उत्पाद था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कन्फेक्शनरी का भी उल्लेख नहीं है। उच्च न्यायालय को अधिसूचना के उद्देश्य को ठीक से समझना चाहिए था। तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय को सामान्य बोलचाल की भाषा का परीक्षण लागू करना चाहिए था कि बबल-गम का उचित वर्गीकरण निर्धारित करे। (पैरा 14 और 15) (701-ई, एफ, जी, एच; 702-ए)

न्यूट्रिन च्युइंग गम प्रोडक्ट्स कं. प्रा. लिमिटेड, आर्य नगर, लखनऊ एसटीआई 1985 21-पर निर्भर था।

पप्पु मिठाइयाँ और बिस्किट और अन्य बनाम कमिश्नर ऑफ ट्रेड टेक्स, यू.पी., लखनऊ 1998 (7) एस.सी.सी. 228; अन्नपूर्णा बिस्किट मैनुफैक्चरिंग कं. लि. बनाम उत्तरप्रदेश राज्य 1975 यूपीटीसी 620; गम इंडिया लिमिटेड कानपुर बनाम व्यापार कर आयुक्त 1996 एस.टी.डी. न्यायाधिकरण 124-निर्दिष्ट।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 6636/2002

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के टी.टी.आर. सं. 656/2001 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 9.11.2001 से।

के साथ

सिविल अपील सं. 3270, 3271/2008 और सिविल अपील सं. 2112/2007

आरोही भल्ला, मनोज कुमार द्विवेदी (जी. वेंकटेश्वर राव के लिए) अपीलार्थी के लिए।

एस.के. बागरिया, कविन गुलाटी, रश्मि सिंह, अवनीश, पांडे (कमलेंद्र मिश्रा के लिए) सी.ए. संख्या 6636/2002 प्रत्यर्थियों के लिए।

ध्रुव अग्रवाल, प्रवीण कुमार में इंटरवर्नर के लिए सी.ए. नं. 6636/2002

न्यायालय का निर्णय दलवीर भंडारी, जे. के द्वारा दिया गया।

1. विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति प्रदान की गई।

2. ये अपीलें 2001 के व्यापार कर संशोधन संख्या 656 में पारित उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 09.11.2001 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं।

3. इन अपीलों में, कानून का एक सामान्य प्रश्न उठता है, इसलिए, सुविधाओं के लिए केवल 2002 की सिविल अपील संख्या 6636 के तथ्यों को दोहराया गया है।

4. इन अपीलों में शामिल मुद्दा बबल-गम की बिक्री पर लागू कर की दर तक ही सीमित है। अपीलकर्ता के अनुसार बबल-गम एक अवर्गीकृत वस्तु के रूप में कर योग्य है और इस पर अधिभार सहित 10% की दर से शुल्क लगेगा। आक्षेपित फैसले में उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बबल-गम एक कन्फेक्शनरी वस्तु है और इसलिए 6.25% की दर से कर लगाया जाना चाहिए।

5. निर्धारण वर्ष 1994-95 के लिए कर निर्धारण अधिकारी ने बबल गम को अवर्गीकृत और गैर-अनुसूचित वस्तु मानते हुए 10% की दर से अतिरिक्त कर लगाया है। प्रतिवादी द्वारा दायर एक अपील में, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादी की दलील को स्वीकार कर लिया और बबल-गम पर 6.25% की दर से कर लगाया। उक्त आदेश से व्यथित अपीलार्थी ने बिक्री कर न्यायाधिकारण, शाखा-11 गाजियाबाद के समक्ष दूसरी अपील दायर की। न्यायाधिकरण ने मामले से जुड़े विवाद पर विस्तार से चर्चा की।

6. यूपी बिक्री कर अधिनियम के तहत वर्ष 1994-95 के लिए बबल-गम पर कर की दर तय करने वाली अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। सरकारी अधिसूचना संख्या व्या का-2-1225/ग्यारह दिनांकित 31.3.1992 और अधिसूचना संख्या व्या का-2-3403/ग्यारह दिनांकित 1.10.94 के तहत मिठाई के लिए कर के भुगतान की देनदारी तय की गई है। यूपी बिक्री कर अधिनियम के तहत मिठाई, नमकीन, पका हुआ भोजन, रेवड़ी, गजक, बिस्किट, डबल-ब्रेड, केक, पेस्ट्री, रस्क और चीनी के उत्पाद,

7. यहाँ यह बताना उचित होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है। यदि अंग्रेजी और हिंदी में अधिसूचनाओं के बीच कोई अंतर पाया जाता है, तो हिंदी में जारी अधिसूचना लागू होगी। उक्त अधिसूचना पर, अदालतों ने निर्णय दिया कि

कन्फेक्शनरी स्वीटमीट (मिठाई) और मिठाई के अन्तर्गत आती है। लेकिन यह उल्लेख नहीं किया गया है कि बबल-गम मिठाई की श्रेणी में आता है।

8. इस अदालत ने पप्पू स्वीटस बनाम बिस्किट व अन्य बनाम व्यापार कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (1998) 7 एस.सी.सी. 228 के मामले में इस प्रकार कहा:

“12. “इसमें कोई संदेह नहीं है कि टॉफी एक मिठाई है, जैसा कि उन लोगों द्वारा समझा जाता है जहाँ टॉफी की उत्पत्ति हुई थी।” और यह कि “टॉफी और उस प्रकृति की अन्य चीजें विदेशी मूल की हैं और उन लोगों और उनकी प्रकृति के अनुसार मिठाई या मिठाईयां हैं” केवल इसलिए नहीं बदला जा सकता है क्योंकि उनका मूल देश के इस हिस्से में आम तौर पर ‘मिठाई’ शब्द द्वारा व्यक्त की जाने वाली बातों से भिन्न है”, उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर निर्णय लेने को इस बात पर भरोसा करते हुए प्राथमिकता दी कि देश के लोग ‘टॉफी’ को कैसे समझते हैं, इसकी उत्पत्ति इस बात पर विचार करने के बजाय हुई कि भारत में और विशेष रूप से उत्तरप्रदेश राज्य में “टॉफी को कैसे समझा जाता है जैसा कि सी.सी.ई. बनाम पारले एक्सपोर्ट (पी) लिमिटेड (1989) 1 एस.सी.सी. 345 पी. 357 पैरा 17 में इस न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था।

“प्रावधान में उपयोग किए गए शब्दों, कर लगाना या छूट देना को उसी तरह से समझा जाना चाहिए जैसे इन्हें सामान्य बोलचाल में उस क्षेत्र में समझा जाता है जहां कानून लागू है या उन लोगों द्वारा जो आम तौर पर उनसे निपटते हैं।”

उस मामले में, वह प्रश्न जो विचार के लिए उठा था कि गैर-मादक पेय आधार केंद्रीय उत्पाद शुल्क संख्या 55/75 दिनांकित 1-3-1975 के संदर्भ में खाद्य उत्पाद या खाद्य तैयारी है। इस न्यायालय ने यह देखा कि भारत में गैर-एल्कोहल पेय पदार्थों को खाद्य उत्पाद या खाद्य तैयारी के रूप में नहीं समझा जाता है, हालांकि उन्हें विदेशों में ऐसा माना जाता होगा। इसलिए, उच्च न्यायालय को यह पता लगाकर लोकप्रिय बोलचाल की भाषा का परीक्षण करना चाहिए था कि देश में और विशेष रूप से राज्य में टॉफी को कैसे समझा जाता है। राज्य द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था कि "टॉफी" को टॉफी माना जाता है। मिठाइयां या तो टॉफी के डीलरों द्वारा या उपभोक्ताओं द्वारा। दूसरी ओर अपीलकर्ता की ओर से सी.ए. नंबर 1692/1997 इंगित करता है कि टॉफी को मिठाई नहीं माना जाता, कि वे मिठाई बेचने वाली दुकानों में नहीं बेची जाती बल्कि कन्फेक्शनरी या अन्य प्रकार की वस्तुएँ बेचने वाली दुकानों में बेची जाती हैं, और उपभोक्ता टॉफी को मिठाई के रूप में नहीं खरीदते हैं या उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। हालाँकि, राज्य के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया कि राज्य द्वारा इस छूट अधिसूचना जारी होने से कुछ समय पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो मामलों में माना था कि टॉफी एक मिठाई है लेकिन इसे एक अलग संदर्भ में रखा गया था और राज्य द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था कि उसके बाद, टॉफी के विक्रेताओं और उपभोक्ताओं ने उन्हें मिठाई के रूप में मानना शुरू कर दिया। अधिसूचना के हिन्दी संस्करण में मिठाई शब्द के लिए "मिठाई" शब्द का उपयोग किया गया है। "मिठाई" शब्द का एक निश्चित अर्थ है और यह उचित मात्रा में निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि इस देश में लोग टॉफी को "मिठाई" नहीं मानते हैं। उच्च न्यायालय ने यह मानकर गंभीर गलती की है कि टॉफी के कुछ निर्माता अपने उत्पादों को मिठाई बताकर बेचते हैं इसलिए यह कहा जा सकता है कि व्यावसायिक क्षेत्रों में टॉफी को मिठाई के रूप में माना जाता है।

यदि उपरोक्त निर्णय के अनुपात को ठीक से समझा जाए तो आम भाषा में बबल-गम को मिठाई नहीं माना जा सकता। जब हम आम बोलचाल की भाषा में परीक्षण करते हैं और वास्तव में किसी को बाजार से मिठाई लाने के लिए कहते हैं तो वह कभी भी बबल-गम नहीं लाएगा। सामान्य बोलचाल की भाषा में कन्फेक्शनरी की वस्तुओं को भी मिठाई नहीं माना जाएगा। दरअसल, बबल-गम खाने की वस्तु नहीं है। इसे मुँह में रखा जाता है और चबाने के बाद बाहर निकाल दिया जाता है। बबल-गम को बच्चे मुँह में रखकर गुब्बारे की भी फुलाते हैं। दरअसल, इसका उपयोग "माउथ फ्रेशनर" के रूप में किया जाता है। यह सिर्फ चीनी से नहीं बनता, इसमें चीनी के साथ-साथ गोंद बेस, वेक्स आदि भी होते हैं।

9. विकिपीडिया, विश्वकोश के अनुसार, बबल-गम एक प्रकार का च्युइंग गम है जो विशेष रूप से बुलबुले उड़ाने के लिए बनाया गया है।

10. आयुक्त, बिक्री कर, यूपी ने न्युट्रिन च्युइंग गम प्रोडक्ट्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में निर्णय पर भरोसा किया। लिमिटेड, आर्यनगर, लखनऊ (एस.टी.आई. 1985 पृष्ठ 21) और देखा कि-

“च्युइंग गम में, चीनी लगभग नगण्य होती है। इसके अलावा यह खाने योग्य नहीं है। इसका उपयोग पूरी तरह से अलग है। बच्चे इसे सिर्फ मनोजरंजन के लिए और एथलीट सांस को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करते हैं। आम बोलचाल भी कोई इसे कन्फेक्शनरी वस्तु के रूप में नहीं मानता है। इसलिए मेरा मानना है कि च्युइंग गम एक अवर्गीकृत वस्तु है।”

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि च्युइंग गम और बबल गम स्वीटमीट (मिठाई) की श्रेणी में नहीं आते हैं। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने बिक्री कर न्यायाधिकरण द्वारा

1992 की द्वितीय अपील संख्या 449 में गम प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड शीर्षक में दिए गए फैसले पर भरोसा किया है। लिमिटेड गाजियाबाद बनाम आयुक्त बिक्री कर। न्यायाधिकरण ने पप्पू स्वीट्स एंड बिस्किट्स बनाम व्यापार कर आयुक्त (1995 यूपीटीसी 1089) के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भी भरोसा किया है। अन्नपूर्णा बिस्किट मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1975 यूपीटीसी 620) और गम इंडिया लिमिटेड, कानपुर बनाम व्यापार कर आयुक्त (1996 एसटीडी न्यायाधिकरण 124) में बिक्री कर न्यायाधिकरण, कानपुर का निर्णय। इन निर्णयों के अनुसार, 'च्युइंग गम और बबल-गम' आदि पर 'मिठाई और कन्फेक्शनरी वस्तुओं के रूप में कर लगाया जाता है। न्यायाधिकरण ने पप्पू स्वीट्स के मामले में दिए गए फैसले पर भी विचार किया है।

11. यूपी बिक्री कर अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना में मिठाई (स्वीटमीट), पका हुआ भोजन, नमकीन आदि एक प्रविष्टि के अन्तर्गत है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नमकीन और पका हुआ भोजन मिठाई है। फूड एनालाइसिस बुक के पार्ट 5 और 11 और 8 की जो कॉपी जमा की गई है उसमें ब्रेड, रस्क, फूड मीट, वाईट ब्रेड, क्रीम रोल आइसक्रीम, बॉम्बे हलवा आदि कई चीजों का जिक्र है। उल्लिखित वस्तुओं में से एक बबल-गम है। इसका मतलब यह नहीं है कि बबल-गम एक मिठाई (स्वीटमीट) या कन्फेक्शनरी है।

12. न्यायाधिकरण स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि बबल गम न तो स्वीटमीट (मिठाई) है और न ही कन्फेक्शनरी।

13. न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय से व्यथित प्रत्यर्थी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की।



14. उच्च न्यायालय इस विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुँचा कि बबल-गम को मिठाई के रूप में नहीं माना जा सकता है लेकिन यह निश्चित रूप से एक कन्फेक्शनरी की वस्तु है। आक्षेपित निर्णय में, उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष के लिए कोई कारण नहीं बताया। प्रत्यर्थी ने बबल-गम की सामग्री का कोई विवरण नहीं दिया। प्रतिवादी का यह मामला कभी नहीं था कि बबल-गम एक चीनी उत्पाद है। अधिसूचना में कन्फेक्शनरी का भी उल्लेख नहीं है। उच्च न्यायालय को अधिसूचना के उद्देश्य को ठीक से समझना चाहिए था।

15. तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय को बबल-गम का उचित वर्गीकरण निर्धारित करने के लिए सामान्य बोलचाल का परीक्षण लागू करना चाहिए था। यह उल्लेख करना उचित होगा कि प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के उक्त निष्कर्ष के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है कि बबल-गम एक मिठाई नहीं है।

16. उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 9.11.2001 से व्यथित अपीलार्थी ने इस अपील को प्राथमिकता दी है।

17. विवाद आंकलन वर्ष 1994-95 तक ही सीमित है। प्रतिवादी के अनुसार, बबल-गम द्वारा क्रमांक पर विशिष्ट प्रविष्टि द्वारा कवर किया गया था। अधिसूचना दिनांक 7.9.1981 संख्या 48 अधिसूचना दिनांक 31.3.1992 द्वारा संशोधित। उक्त प्रविष्टि सं. 48 इस प्रकार है:-

“मिठाई, नमकीन, पका हुआ भोजन, रेवड़ी, गजक, बिस्किट, रोटी, केक, पेस्ट्री, बन्स, रस्क और चीनी उत्पाद, उपरोक्त वस्तुओं में से किसी को छोड़कर, जो - यूपी बिक्री कर अधिनियम के तहत जारी किसी भी अन्य अधिसूचना के तहत छूट प्राप्त है।”

18. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रदर्शित करने के लिए गंभीर प्रयास किए कि बबल-गम को "मिठाई" की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उच्च न्यायालय ने एक विशिष्ट निष्कर्ष दिया कि बबल गम को मिठाई के रूप में नहीं माना जा सकता है और उस निष्कर्ष को प्रत्यर्था द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी।

19. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बबल गम में वजन के हिसाब से 60% सुक्रोज होता है। चीनी का उत्पाद है, इसे मिठाई की श्रेणी में आना चाहिए।

20. प्रतिवादी ने कहा कि 'चीनी उत्पाद' को अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। इसका मतलब यह होगा कि यह किसी भी उत्पाद को कवर करेगा जिसमें चीनी की मात्रा बहुत अधिक है। एक उत्पाद जिसमें चीनी अन्य घटकों पर प्रमुख घटक है और जो किसी अन्य विशिष्ट शीर्षक द्वारा कवरेज नहीं है वह स्पष्ट रूप से एक चीनी उत्पाद है।

21. पप्पु स्वीट्स (ऊपर) में, इस न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी अधिसूचना को अर्थ देने के लिए सामान्य बोलचाल परीक्षण पर बहुत जोर दिया है। अदालत ने एक " "

जा सकता है लेकिन देश के इस हिस्से (उत्तर प्रदेश) में इसे मिठाई नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार, उत्तरप्रदेश राज्य में बबल-गम को मिठाई के रूप में माना जा सकता है। नतीजतन, 'बबल-गम' एक अवर्गीकृत वस्तु के रूप में कर योग्य है।

22. इन दीवानी अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को खारिज किया जाता है। तथ्यों में और परिस्थितियों में, हम पक्षों को अपनी लागत स्वयं वहन करने का निर्देश देते हैं।

के.के.टी.

अपील की अनुमति दी गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दीपेन्द्र कुमार मीणा (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।